सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.11.19	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी पैरोकार उप0। उभय पक्ष को सुना। वादी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादीनी की पुश्तैनी एवं संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 509 रकबा 39.10 बीघा भूमि ग्राम आदर्श बस्ती, पटवार मण्डल–आकली, तह0 शिव मे आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी वादीनी को अपनी माता के फोत होने पर विरासत मे प्राप्त हुई है। वादीनी की माता जामा बेवा अमीर की फोतगी पर खोले गये नामान्तकरण संख्या 282 मौजा आदर्श बस्ती तह0 शिव में हल्का पटवारी द्वारा मानवीय भूल से वादीनी का नाम कोरबाई के स्थान पर सतबाई नाम दर्ज हो गया। अतः वादीनी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के शुद्विकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को सम्मन जारि किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार शिव ने अपने जबाव मे वादीनी के नाम को दुरूस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। वादीनी ने अपने वाद के समर्थन में पी.डब्लू–1 कोरबाई, पी.डब्लू–2 जुसबा खां, पी.डब्लू–3 कमाल खां के ब्यान ग्वाह शपथ–पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, दी बाडमेर सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि. की डायरी, परीवार राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा प्रतिवादी राजपैरोकार के जवाब का अवलोकन किया। वादीनी के सही नाम कोरबाई के स्थान पर सतबाई दर्ज कर दिया गया है। लिहाजा वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 509 रकबा 39.10 बीघा, मौजा आदर्श बस्ती पटवारी मण्डल–आकली, तह0 शिव भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादीनी का नाम सतबाई के स्थान पर कोरबाई घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 22.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव, जिला–बाड़मेर सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Scanned by CamScanner

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 121/2019
अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वदीनी	बनाम	प्रतिवादी
कोरबाई पुत्री जामा पत्नी मारूफखां, जाति–मुसलमान, नि0 सुवाला (बालासर) हाल आदर्श बस्ती, तह0 शिव		1. राज0 राज्य जरिए तहसीलदार शिव। 2. ईसान खां पुत्र अमीर खां 3. कमाल खांप पुत्र अमीर खां 4. मेहरदीन पुत्र अमीर खां 5. तैयब पुत्र अमीर खां 6. समीरबाई पुत्री अमीर खां 7. मुबीन पुत्र फतू 8. नजाम खां पुत्र फतू 9. फातमा पत्नी फतू 10. मेरा वल्द सुरतान 11. मरूफ पुत्र अलीम 12. मुराद पुत्र अलीम 13. जुसबा पुत्र अलीम 14. लखमो पत्नी भलू 15. हाजी रसूल पुत्र भलू जाति–मुसलमान, नि0 आदर्श बस्ती, तह0 शिव

अधिवक्तागण –वादी वकील – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग उपस्थित।

अन्तिम डिक्री

वादी एवं प्रतिवादी को आज दिनांक 22.11.2019 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 509 रकबा 39.10 बीघा, मौजा आदर्श बस्ती पटवारी मण्डल–आकली, तह0 शिव भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादीनी का नाम सतबाई के स्थान पर कोरबाई घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 22.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 16:16:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: